संख्या– /जी0एस0/शिक्षा/A11-42/2014

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,
बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल।

1 JAN 2018

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड देहरादून : दिनांक : ~~दिसम्बर,~~ 2017

महोदय,

विश्वविद्यालय के पत्र संख्या SDSUV/RO/2014/ 1239 दिनांक 14.03.2014 के क्रम में शासन द्वारा पत्रावली संख्या 03 (30)/2014 पर प्राप्त संस्तुति के आधार पर तथा पत्र संख्या 2777/SDSUV/Affi-2017-18 दिनांक 14.12.2017 द्वारा प्रेषित प्रस्तावों के क्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 राज्यपाल/कुलाधिपति जी द्वारा श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 (यथा संशोधित) के अध्याय–6 की धारा–33 (1) के अधीन निम्न संस्थान को स्तम्भ–3 में वर्णित पाठ्यक्रमों में उसके सम्मुख अंकित सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्तम्भ–5 में इंगित अवधि के लिए अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान कर दी गयी है।

क्र0 सं0	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
1	फोनिक्स ग्रुफ ऑफ इंस्टीट्यूशन, रूड़की जनपद हरिद्वार	**1–बी0एससी0** (भौतिक विज्ञान, रसायन एवं गणित)	प्रत्येक में 60–60 सीट	शैक्षिक सत्र 2013–14 सत्र 2014–15, 2015–16 2016–17 एवं सत्र 2017–18 हेतु
		2–बी0एससी0 (जन्तु विज्ञान, वनस्पति एवं रसायन विज्ञान)	प्रत्येक में 60–60 सीट	
		3–बी0कॉम0	60 सीट	
		4–बी0एससी0 (कृषि)	60 सीट	

1. संस्थान में पाठ्यक्रम के सापेक्ष मानकानुसार फैकल्टी की नियुक्ति व अन्य आधारभूत सुविधाओं की स्थापना विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी और इस कमी को पूर्ण करने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी संस्थान के साथ–साथ विश्वविद्यालय के सम्बन्धित अधिकारी की होगी और इन कमियों का निराकरण न होनें पर उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
2. संस्थान को अपने सभी मानक पूर्ण होनें तथा निर्विवाद गतिविधियों की पुष्टि का एक प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करना होगा, तथा विश्वविद्यालय इसकी पुष्टि सुनिश्चित करेगा।
3. संस्थान को सम्बद्धता दिये जाने के सम्बन्ध में कुलपति की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी की मानकों को पूर्ण कराते हुये सम्बद्धता के सम्बन्ध में कार्यपरिषद में लिये गये निर्णय की समयबद्ध/त्रैमासिक रिपोर्ट मा0 कुलाधपति जी को प्रस्तुत करेंगे।
4. संस्थान/कॉलेज को शुल्क एंव प्रवेश के सम्बन्ध में शासन/विश्वविद्यालय/नियामक संस्था द्वारा समय–समय पर निर्धारित किये गये नियमों एंव आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। इसका उल्लंघन पाये जाने पर शासन/विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित संस्थान/कॉलेज के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी।
5. कुलाधिपति/शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर स्वयं या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से संस्था का निरीक्षण किया जा सकता है और पाठ्यक्रम हेतु सम्बन्धित नियामक संस्था एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किये गये मानकों/आदेशों का अनुपालन न करने पर संस्था के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

क्रमशः– 2 पर